भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का अहम फैसला

एआईसीएफ नहीं कर सकेगी खिलाड़ी को बैन

- दीर्घ लड़ाई में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) को मिली करारी शिकस्त

हरिभूमि न्यूज ▶▶| जींद

भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) के खिलाफ पिछले सात सालों से लंबित एक अहम केस पर खिलाड़ियों के पक्ष में अपना फैसला दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश की कॉपी एचसीए की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के बाद अब शतरंज खिलाड़ियों को खेलने की स्वतन्त्रता मिल गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की कोर्ट में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) की करारी हार हुई है। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन (एचसीए) के प्रदेश महासचिव कुलदीप ने बताया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) आदेश के बाद अब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) द्वारा किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के समक्ष ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) को मजबूरन एक शपथ-पत्र दायर कर यह सुनिश्चत करना पडा है कि देशभर के सभी शतरंज खिलाड़ी उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है, जिनके आयोजन या प्रायोजन से ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) का कोई लेना-देना नहीं होता है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) अब देशभर के उन सभी शतरंज खिलाड़ियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नही कर सकेगा।

खिलाड़ियों में भय का माहौल बना था जिससे अब छुटकारा मिलेगा

एचसीए के महासचिव कुलदीप ने बताया कि इस आदेश से पहले ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) सिर्फ अपनी ही शतरंज प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए खिलाड़ियों को बाध्य व मजबूर करती थी। उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं जिसका आयोजन या प्रायोजन एआईसीएफ ने नहीं किया हो, में भाग लेने पर एआईसीएफ संबंधित खिलाड़ी को प्रतिबंधित या बैन करती थी। लेकिन एआईसीएफ अब किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नही कर सकेंगी। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) की बैन या प्रतिबंधित करने की नीति के चलते खिलाड़ियों में भय व डर का माहौल बना हुआ था जिससे अब छुटकारा मिलेगा। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन (एचसीए) के प्रदेश महासचिव कुलदीप ने बताया कि नवंबर 2009 में चेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने खेल कैलेंडर की घोषणा की।

खेलने की स्वतंत्रता की लड़ाई में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) का अहम फैसला

ऑल इंडिया चैस फैडरेशन को करारी शिकस्त

ए.आई.सी.एफ. अब नहीं करेगी किसी खिलाड़ी को बैन

रोहतक, 13 जून (का.प्र.): भारत सरकार की ओर से स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) ने ऑल इंडिया चैस फैडरेशन (ए.आई.सी.एफ.) के खिलाफ पिछले 7 सालों से लंबित एक अहम केस पर खिलाड़ियों के पक्ष में अपना फैसला दिया है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश के बाद अब शतरंज खिलाड़ियों को खेलने की स्वतंत्रता मिल गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कोर्ट में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की करारी हार हुई है।

हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव कुलदीप ने बताया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आदेश के बाद अब आल इंडिया चैस फैडरेशन द्वारा किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष ऑल इंडिया चैस फैडरेशन को मजबूरन एक शपथ-पत्र दायर कर यह सुनिश्चित करना पड़ा है कि देशभर के सभी शतरंज खिलाड़ी उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं जिनके आयोजन या प्रायोजन से आल इंडिया चैस फैडरेशन का कोई लेना-देना नहीं होता है।

आल इंडिया चैस फैडरेशन अब देशभर के उन सभी शतरंज खिलाड़ियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं कर सकेगा।

पहले और अब

कुलदीप ने बताया कि इस आदेश से पहले ऑल इंडिया चैस फैडरेशन सिर्फ अपनी ही शतरंज प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए खिलाड़ियों को बाध्य व मजबूर करती थी। उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं जिसका आयोजन या प्रायोजन ए.आई.सी.एफ. ने नहीं किया हो, में भाग लेने पर ए.आई.सी.एफ. संबंधित खिलाड़ी को प्रतिबंधित या बैन करती थी, लेकिन ए.आई.सी.एफ. अब किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नहीं कर सकेगी।

आल इंडिया चैस फैडरेशन की बैन या प्रतिबंधित करने की नीति के चलते खिलाड़ियों में भय व डर का माहौल बना हुआ था जिससे अब छुटकारा मिलेगा।

एआईसीएफ अब से नही कर सकेगी किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित

चंडीगढ़। भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) के खिलाफ पिछले सात सालों से लंबित एक अहम केस पर खिलाड़ियों के पक्ष में अपना फैसला दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश की कॉपी एचसीए की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इंडियनचेस डॉट ओआरजी से डाऊनलोड की जा सकती हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के बाद अब शतरंज खिलाड़ियों को खेलने की स्वतन्त्रता मिल गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की कोर्ट में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) की करारी हार हुई है। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन (एचसीए) के प्रदेश महासचिव कुलदीप ने बताया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) आदेश के बाद अब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) द्वारा किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नही किया जा सकेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के समक्ष ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) को मजबूरन एक शपथ-पत्र दायर कर यह सुनिश्चत करना पडा है कि देशभर के सभी शतरंज खिलाड़ी उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र है जिनके आयोजन या प्रायोजन से ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) का कोई लेना-देना नही होता है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) अब देशभर के उन सभी शतरंज खिलाड़ियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नही कर सकेगा। एचसीए के महासचिव कुलदीप ने बताया कि इस आदेश से पहले ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) सिर्फ अपनी ही शतरंज प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए खिलाड़ियों को बाध्य व मजबूर करती थी। उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं जिसका आयोजन या प्रायोजन एआईसीएफ ने नही किया हो, में भाग लेने पर एआईसीएफ संबंधित खिलाड़ी को प्रतिबंधित या बैन करती थी। लेकिन एआईसीएफ अब किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नही कर सकेंगी। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) की बैन या प्रतिबंधित करने की नीति के चलते खिलाड़ियों में भय व डर का माहौल बना हुआ था जिससे अब छुटकारा मिलेगा।

घटनाओं का कालक्रम :

हरियाणा शतरंज एसोसिएशन (एचसीए) के प्रदेश महासचिव कुलदीप ने बताया कि

नवंबर 2009 में चेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने खेल कैलेंडर की घोषणा की जिसके तहत वर्ष 2009 से 2012 तक कई शतरंज प्रतियोगिताओं का आयोजन करके चेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने कुल दो करोड़ से ज्यादा के नगद पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को दिए।

अक्तुबर 2010 में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) ने वर्ल्ड चेस फेडरेशन (फिडे) को चेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की फिडे रेटिंग खत्म करने के लिए लिखा।

नवंबर 2010 में वर्ल्ड चेस फेडरेशन (फिडे) ने 71 खिलाड़ियों व दिसंबर 2010 में 55 खिलाड़ियों की फिडे रेटिंग खत्म कर दी।

मार्च 2011 में पीड़ित खिलाड़ियों ने खेल मन्त्रालय के समक्ष इस बारे अपनी शिकायत दर्ज कराई। लेकिन कोई राहत नहीं मिली। अप्रैल 2011 में वर्ल्ड चेस फेडरेशन (फिडे) ने 25 खिलाड़ियों की फिडे रेटिंग खत्म कर दी। इस प्रकार पूरे देश से कुल 151 खिलाड़ियों की फिडे रेटिंग खत्म कर दी गई।

अगस्त 2011 में हरियाणा शतरंज एसोसिएशन (एचसीए), उत्तर प्रदेश चेस एसोसिएशन, राजस्थान चेस एसोसिएशन, चेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कुछ खिलाड़ियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के खिलाफ एक याचिका दायर की।

नवंबर 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को इस मामले की जांच का आदेश देते हुए कहा कि यह मामला देशभर में आयोजित होने वाली उन शतरंज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की स्वतन्त्रता व अधिकारों के संबंध में है, जिनके आयोजन से ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) का कोई लेना-देना नही होता है।

फरवरी 2012 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अपने महानिदेशक को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया।

अक्तुबर 2012 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के महानिदेशक ने अपनी जांच पूरी की।

दिसंबर 2012 में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) आदेश के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश से एक्स पार्टी आदेश प्राप्त कर लिए।

मार्च 2013 में मद्रास हाई कोर्ट के एकल जज के एक्स पार्टी आदेश के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अपना जोरदार पक्ष मद्रास हाई कोर्ट में रखा।

अप्रैल 2013 में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) ने अपनी शर्तो के साथ बैन खिलाड़ियों को छमादान देने का ऑफर रखा। शर्त ये थी कि बैन खिलाड़ियों द्वारा चेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रतियोगिताओं से जीता कुल पुरस्कार राशि का 50 प्रतिशत एआईसीएफ को देना होगा।

खिलाड़ियों से पुरस्कार राशि का 50 प्रतिशत लेती थी एआईसीएफ :

देश के अधिकतर खिलाड़ी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) की इस गलत नीति के सामने आत्मसमर्पण कर देते थे। एआईसीएफ छमादान देने की एवज में उन खिलाड़ियों से शतरंज प्रतियोगिताओं से जीती कुल पुरस्कार राशि का 50 प्रतिशत ले लेती थी। जनवरी 2017 में मद्रास हाई कोर्ट ने एआईसीएफ को दिसंबर 2012 में दी गई अंतरिम राहत कैंसिल कर दी और कहा कि इस कोर्ट द्वारा दिसंबर 2012 में एआईसीएफ के पक्ष में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के खिलाफ दिए गए एक्स पार्टी आदेश से पूरे देश के शतरंज खिलाड़ियों को बहुत नुकसान हुआ है।

खेलने की स्वतंत्रता की लड़ाई में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अहम फैसला

दीर्घ लड़ाई में ऑल इंडिया चेस फैडरेशन (एआईसीएफ) को मिली करारी शिकस्त

कुरुक्षेत्र, 13 जून (जसबीर सिंह दुग्गल): भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) के खिलाफ पिछले 7 सालों से लंबित एक अहम केस पर खिलाड़ियों के पक्ष में अपना फैसला दिया है। सीसीआई के आदेश के बाद अब शतरंज खिलाड़ियों को खेलने की स्वतंत्रता मिल गई है। सीसीआई की कोर्ट में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) की करारी हार हुई है।

हरियाणा शतरंज एसोसिएशन (एचसीए) के प्रदेश महासचिव कुलदीप ने बताया कि सीसीआई आदेश के बाद अब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसी एफ) द्वारा किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नही किया जा सकेगा। सीसीआई के समक्ष एआईसीएफ को मजबूरन एक शपथ-पत्र दायर कर यह सुनिश्चित करना पड़ा है कि देशभर के सभी शतरंज खिलाड़ी उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है, जिनके आयोजन या प्रायोजन से ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) का कोई लेना-देना नही होता है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन अब देशभर के उन सभी शतरंज खिलाड़ियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नही कर सकेगा। कुलदीप ने बताया कि इस आदेश से पहले ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसी एफ) सिर्फ अपनी ही शतरंज प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए खिलाड़ियों को बाध्य व मजबूर करती थी। उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं जिसका आयोजन या प्रायोजन एआईसीएफ ने नही किया हो, में भाग लेने पर एआईसीएफ संबंधित खिलाड़ी को प्रतिबंधित या बैन करती थी। लेकिन एआईसीएफ अब किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नही कर सकेंगी। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसी एफ) की बैन या प्रतिबंधित करने की नीति के चलते खिलाड़ियों में भय व डर का माहौल बना हुआ था जिससे अब छुटकारा मिलेगा। कुलदीप ने बताया कि नवंबर 2009 में चेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने खेल कैलेंडर की घोषणा की, जिसके तहत वर्ष 2009 से 2012 तक कई शतरंज प्रतियोगिताओं का आयोजन करके सीएआई ने कुल 2 करोड़ से ज्यादा के नगद पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को दिए। अक्तूबर 2010 में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने वर्ल्ड चेस फेडरेशन (फिडे) को चेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की फिडे रेटिंग खत्म करने के लिए लिखा। नवंबर 2010 में वर्ल्ड चेस फेडरेशन (फिडे) ने 71 खिलाड़ियों व दिसंबर 2010 में 55 खिलाड़ियों की फिडे रेटिंग खत्म कर दी। मार्च 2011 में पीड़ित खिलाड़ियों ने खेल मन्त्रालय के समक्ष इस बारे अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। अप्रैल 2011 में वर्ल्ड चेस फेडरेशन (फिडे) ने 25 खिलाड़ियों की फिडे रेटिंग खत्म कर दी। इस प्रकार पूरे देश से कुल 151 खिलाड़ियों की फिडे रेटिंग खत्म कर दी गई। अगस्त 2011 में हरियाणा शतरंज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश चेस एसोसिएशन, राजस्थान चेस एसोसिएशन, चेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कुछ खिलाड़ियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के खिलाफ एक याचिका दायर की। नवंबर 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को इस मामले की जांच का आदेश देते हुए कहा कि यह मामला देशभर में आयोजित होने वाली उन शतरंज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की स्वतंत्रता व अधिकारों के संबंध में है। इसके बाद जनवरी 2017 में मद्रास हाई कोर्ट ने एआईसीएफ को दिसंबर 2012 में दी गई अंतरिम राहत कैंसिल कर दी और कहा कि इस कोर्ट द्वारा दिसंबर 2012 में एआईसीएफ के पक्ष में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के खिलाफ दिए गए एक्स पार्टी आदेश से पूरे देश के शतरंज खिलाड़ियों को बहुत नुकसान हुआ है। मार्च 2017 में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) ने मद्रास हाई कोर्ट की डबल बैंच के समक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के खिलाफ एक अपील दायर की। 5 अप्रैल 2017 को मद्रास हाई कोर्ट की डबल बैंच ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पक्ष में फैसला दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को इस मामले में आगे बढने के निर्देश दिए। 23 मई 2017 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसी एफ) को एक एफिडेविट के माध्यम से यह लिखकर देने का आदेश दिया कि देश के सभी शतरंज खिलाड़ी उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र है जिनके आयोजन या प्रायोजन से ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) का कोई लेना-देना नही होता है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) उन सभी शतरंज खिलाड़ियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करेगा।

एआईसीएफ अब से नहीं कर सकेगी किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित

खिलाड़ियों को शतरंज खेलने की मिली स्वीकृति

किसी भी प्रतियोगिता में खेल सकेंगे भारतीय खिलाड़ी: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हरिभूमि न्यूज ▶▶| करनाल

भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने (एआईसीएफ) के खिलाफ पिछले सात सालों से लंबित एक अहम केस पर खिलाड़ियों के पक्ष में अपना फैसला दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश की कॉपी एचसीए की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इंडियनचेस डॉट ओआरजी से डाउनलोड की जा सकती हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के बाद अब

शतरंज खिलाड़ियों को खेलने की स्वतन्त्रता मिल गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की कोर्ट में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) की करारी हार हुई है। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन (एचसीए) के प्रदेश महासचिव कुलदीप ने बताया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) आदेश के बाद अब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) द्वारा किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नही किया जा सकेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के समक्ष ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) को मजबूरन एक शपथ-पत्र दायर कर यह सुनिश्चत करना पड़ा है कि देशभर के सभी शतरंज खिलाड़ी उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र है जिनके आयोजन या प्रायोजन से ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) का कोई लेना-देना नही होता है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) अब देशभर के उन सभी शतरंज खिलाड़ियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नही कर सकेगा।

एचसीए के महासचिव कुलदीप ने बताया कि इस आदेश से पहले ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) सिर्फ अपनी ही शतरंज प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए खिलाड़ियों को बाध्य व मजबूर करती थी।

सीसीआई में ऑल इंडिया चेस फैडरेशन हारी

नई दिल्ली : भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) के खिलाफ पिछले सात सालों से लंबित एक अहम केस पर खिलाड़ियों के पक्ष में अपना फैसला दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश की कॉपी एचसीए की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इंडियनचेस डॉट ओआरजी से डाऊनलोड की जा सकती हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के बाद अब शतरंज खिलाड़ियों को खेलने की स्वतन्त्रता मिल गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की कोर्ट में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) की करारी हार हुई है।

हरियाणा शतरंज एसोसिएशन (एचसीए) के प्रदेश महासचिव कुलदीप ने बताया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) आदेश के बाद अब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) द्वारा किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नही किया जा सकेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के समक्ष ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) को मजबूरन एक शपथ-पत्र दायर कर यह सुनिश्चत करना पडा है कि देशभर के सभी शतरंज खिलाड़ी उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र है जिनके आयोजन या प्रायोजन से ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) का कोई लेना-देना नही होता है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) अब देशभर के उन सभी शतरंज खिलाड़ियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नही कर सकेगा।

एचसीए के महासचिव कुलदीप ने बताया कि इस आदेश से पहले ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) सिर्फ अपनी ही शतरंज प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए खिलाड़ियों को बाध्य व मजबूर करती थी। उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं जिसका आयोजन या प्रायोजन एआईसीएफ ने नहीं किया हो, में भाग लेने पर एआईसीएफ संबंधित खिलाड़ी को प्रतिबंधित या बैन करती थी। लेकिन एआईसीएफ अब किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नही कर सकेंगी। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) की बैन या प्रतिबंधित करने की नीति के चलते खिलाड़ियों में भय व डर का माहौल बना हुआ था जिससे अब छुटकारा मिलेगा।

खेलने की स्वतंत्रता की लड़ाई में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अहम फैसला

■ दीर्घ लड़ाई में ऑल इंडिया चैस फैडरेशन को मिली करारी शिकस्त

■

जींद, 13 जून (का.प्र.): भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) ने ऑल इंडिया चैस फैडरेशन (ए.आई.सी.एफ.) के खिलाफ पिछले 7 सालों से लंबित एक अहम केस पर खिलाड़ियों के पक्ष में अपना फैसला दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) के आदेश की कॉपी एच.सी.ए. की वैबसाइट से डाऊनलोड की जा सकती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) के आदेश के बाद अब शतरंज खिलाड़ियों को खेलने की स्वतंत्रता मिल गई है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) की कोर्ट में ऑल इंडिया चैस फैडरेशन (ए.आई.सी.एफ.) की करारी हार हुई है।

हरियाणा शतरंज एसोसिएशन (एच.सी.ए.) के प्रदेश महासचिव कुलदीप ने बताया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) आदेश के बाद अब ऑल इंडिया चैस फैडरेशन (ए.आई.सी.एफ.) द्वारा किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकेगा।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) के समक्ष ऑल इंडिया चैस फैडरेशन (ए.आई.सी.एफ.) को मजबूरन एक शपथ-पत्र दायर कर यह सुनिश्चत करना पडा है कि देशभर के सभी शतरंज खिलाड़ी उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है, जिनके आयोजन या प्रायोजन से ऑल इंडिया चैस फैडरेशन (ए.आई.सी.एफ.) का कोई लेना-देना नहीं होता है। ऑल इंडिया चैस फैडरेशन (ए.आई.सी.एफ.) अब देशभर के उन सभी शतरंज खिलाड़ियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं कर सकेगा। एच.सी.ए. के महासचिव कुलदीप ने बताया कि इस आदेश से पहले ऑल इंडिया चैस फैडरेशन (ए.आई.सी.एफ.) सिर्फ अपनी ही शतरंज प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए खिलाड़ियों को बाध्य व मजबूर करती थी। उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं जिसका आयोजन या प्रायोजन ए.आई.सी.एफ. ने नहीं किया हो, में भाग लेने पर ए.आई.सी.एफ. संबंधित खिलाड़ी को प्रतिबंधित या बैन करती थी लेकिन ए.आई.सी.एफ. अब किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नहीं कर सकेगी। ऑल इंडिया चैस फैडरेशन (ए.आई.सी.एफ.) की बैन या प्रतिबंधित करने की नीति के चलते खिलाड़ियों में भय व डर का माहौल बना हुआ था जिससे अब छुटकारा मिलेगा। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन (एच.सी.ए.) के प्रदेश महासचिव कुलदीप ने बताया कि नवम्बर 2009 में चैस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सी.ए.आई.) ने खेल कलैंडर की घोषणा की।

खेलने की स्वतंत्रता की लड़ाई में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अहम फैसला

कुरुक्षेत्र, रामपाल, पंकज (पंजाब केसरी): हरियाणा शतरंज एसोसिएशन (एचसीए) के प्रदेश महासचिव कुलदीप ने बताया कि भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) के खिलाफ पिछले सात सालों से लंबित एक अहम केस पर खिलाड़ियों के पक्ष में अपना फैसला दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के बाद अब शतरंज खिलाड़ियों को खेलने की स्वतन्त्रता मिल गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की कोर्ट में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) की करारी हार हुई है।

प्रेस को जारी विज्ञप्ति में हरियाणा शतरंज एसोसिएशन (एचसीए) के प्रदेश महासचिव कुलदीप ने बताया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)

एआईसीएफ अब से नहीं कर सकेगी किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित

आदेश के बाद अब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) द्वारा किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के समक्ष ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) को मजबूरन एक शपथ-पत्र दायर कर यह सुनिश्चित करना पड़ा है कि देशभर के सभी शतरंज खिलाड़ी उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र हैं जिनके आयोजन या प्रायोजन से ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) का कोई लेना-देना नहीं होता है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) अब देशभर के उन सभी शतरंज खिलाड़ियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं कर सकेगा।

एचसीए के महासचिव कुलदीप ने बताया कि इस आदेश से पहले ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) सिर्फ अपनी ही शतरंज प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए खिलाड़ियों को बाध्य व मजबूर करती थी। उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं जिसका आयोजन या प्रायोजन एआईसीएफ ने नही किया हो, में भाग लेने पर एआईसीएफ संबंधित खिलाड़ी को प्रतिबंधित या बैन करती थी। लेकिन एआईसीएफ अब किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नही कर सकेगी। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) की बैन या प्रतिबंधित करने की नीति के चलते खिलाड़ियों में भय व डर का माहौल बना हुआ था जिससे अब छुटकारा मिलेगा।

खेलने की स्वतंत्रता की लड़ाई में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अहम फैसला

यमुनानगर, 13 जून (का.प्र.): भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) ने ऑल इंडिया चैस फैडरेशन (ए.आई.सी.एफ.) के खिलाफ 7 सालों से लंबित एक अहम केस पर खिलाड़ियों के पक्ष में अपना फैसला दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) के आदेश की कॉपी एच.सी.ए. की वैबसाइट डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. डॉट इंडियन चैस डॉट ओ.आर.जी. से डाऊनलोड की जा सकती है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) के आदेश के बाद अब शतरंज खिलाड़ियों को खेलने की स्वतंत्रता मिल गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) की कोर्ट में ऑल इंडिया चैस फैडरेशन (ए.आई.सी.एफ.) की करारी हार हुई है। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन (एच.सी.ए.) के प्रदेश महासचिव कुलदीप ने बताया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आदेश के बाद अब ऑल इंडिया चैस फैडरेशन द्वारा किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकेगा।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष ऑल इंडिया चैस फैडरेशन को मजबूरन एक शपथ पत्र दायर कर यह सुनिश्चित करना पड़ा है कि देशभर के सभी शतरंज खिलाड़ी उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं जिनके आयोजन या प्रायोजन से ऑल इंडिया चैस फैडरेशन का कोई लेना-देना नहीं होता है।

ऑल इंडिया चैस फैडरेशन अब देशभर के उन सभी शतरंज खिलाड़ियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं कर सकेगा।

एच.सी.ए. के महासचिव कुलदीप ने बताया कि इस आदेश से पहले ऑल इंडिया चैस फैडरेशन सिर्फ अपनी ही शतरंज प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए खिलाड़ियों को बाध्य व मजबूर करती थी।

उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं जिसका आयोजन या प्रायोजन ए.आई.सी.एफ. ने नहीं किया हो, में भाग लेने पर ए.आई.सी.एफ. संबंधित खिलाड़ी को प्रतिबंधित या बैन करती थी लेकिन ए.आई.सी.एफ. अब किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नहीं कर सकेगी।

ऑल इंडिया चैस फैडरेशन की बैन या प्रतिबंधित करने की नीति के चलते खिलाड़ियों में भय व डर का माहौल बना हुआ था जिससे अब छुटकारा मिलेगा।

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
ZONAL OFFICE:- HARYANA, GURDWARA SHRI GURU SABHA, MODEL TOWN, KARNAL. PH.: 0184-2269202-210

Applications are invited for engagement of retired Bank Officials in Scale II and above as in charge/counselor to oversee overall functioning of Financial Literacy and Credit Counseling Centers in Haryana on contractual basis in district Yamunanagar. Applications should reach at above address by 08.07.2017. For complete details, please visit Bank's website WWW.PSBINDIA.COM.

Zonal Manager

एआईसीएफ अब से नहीं कर सकेगी किसी खिलाड़ी को बैन

कुरुक्षेत्र, यशबाबू न्यूज।

भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) के खिलाफ पिछले सात सालों से लंबित एक अहम केस पर खिलाड़ियों के पक्ष में अपना फैसला दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश की कॉपी एचसीए की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इंडियनचेस डॉट ओआरजी से डाऊनलोड की जा सकती हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के बाद अब शतरंज खिलाड़ियों को खेलने की स्वतन्त्रता मिल गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की कोर्ट में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) की करारी हार हुई है। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन (एचसीए) के प्रदेश महासचिव कुलदीप ने बताया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) आदेश के बाद अब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) द्वारा किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के समक्ष ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) को मजबूरन एक शपथ-पत्र दायर कर यह सुनिश्चित करना पड़ा है कि देशभर के सभी शतरंज खिलाड़ी उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र है जिनके आयोजन या प्रायोजन से ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) का कोई लेना-देना नहीं होता है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) अब देशभर के उन सभी शतरंज खिलाड़ियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं कर सकेगा। एचसीए के महासचिव कुलदीप ने बताया कि इस आदेश से पहले ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) सिर्फ अपनी ही शतरंज प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए खिलाड़ियों को बाध्य व मजबूर करती थी। उन सभी शतरंज प्रतियोगिताओं जिसका आयोजन या प्रायोजन एआईसीएफ ने नहीं किया हो, में भाग लेने पर एआईसीएफ संबंधित खिलाड़ी को प्रतिबंधित या बैन करती थी। लेकिन एआईसीएफ अब किसी खिलाड़ी को बैन या प्रतिबंधित नहीं कर सकेंगी। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (एआईसीएफ) की बैन या प्रतिबंधित करने की नीति के चलते खिलाड़ियों में भय व डर का माहौल बना हुआ था जिससे अब छुटकारा मिलेगा।